न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 46 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सुखराम पुत्र छोटूराम जाति जाट डिडेल निवासी रोल तहसील जायल जिला नागौर।		1 काजी समाज जरिये अध्यक्ष जाबिर अली पुत्र अलीमुदीन जाति काजी मुसलमान निवासी रोल तहसील जायल जिला नागौर। 2 जाबिर अली पुत्र अलीमुदीन जाति काजी मुसलमान निवासी रोल तहसील जायल जिला नागौर। 3 ग्राम पंचायत रोल जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत रोल तहसील जायल जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से

2 श्री भोपाल सिंह राठौड, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 01.07.2025

1– प्रकरण इस प्रकार है कि निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रोल द्वारा मिसल संख्या 2 / 2024, पटटा संख्या 34 दिनांक 28.08.2024 को जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 28.10.2024 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 04.11.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री भोपाल सिंह राठौड, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, अप्रार्थी संख्या 03 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत रोल का पटटा संख्या 34 की फोटोप्रति, पटटा संख्या 29 की फोटोप्रति, काजी समाज द्वारा ग्राम पंचायत रोल में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फोटोप्रति तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने ग्राम रोल की जमाबंदी संवत् 2076 एवं 2058 से 61 की फोटोप्रति, पटटा संख्या 23 व 30 की फोटोप्रति, सिविल न्यायालय जायल ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, सिविल न्यायालय जायल में प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति, नोटिस दिनांक 15.02.21 की फोटोप्रति, पंचायत समिति मुण्डवा द्वारा जारी पत्र दिनांक 17.02.21 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– विवादित पटटा संख्या 34 दिनांक 28.08.2024 सरासर गलत, फर्जी, कूटरचित, षडयंत्रपूर्वक ढंग से जारी किया हुआ होने से खारिज किये जाने योग्य है।

2(2)–अप्रार्थी संख्या 2 जाबिर अली ने उक्त फर्जी पटटा हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन पेश किया उस आवेदन में मिथ्या तथ्य दर्ज करते हुए उक्त जायगा को अपनी पुराने बडेर के समय का पुराना मकान बता कर मकान के पटटे की आवश्यकता होना बता कर आवेदन में उल्लेख कर आवेदन पेश किया गया था जबकि न तो जाबिर अली का वहां मौके पर मकान है न पुराना कब्जा है न ही जाबिर अली ने काजी समाज के अध्यक्ष की हैसियत से ऐसा कोई आवेदन पेश किया था। इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने काजी समाज रोल के नाम से पत्रावली खोल कर काजी समाज के नाम से उक्त फर्जी पटटा जारी किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

2(3)– अप्रार्थी संख्या 2 जाबिर अली की पत्रावली में जाबिर अली स्वयं के बयानों में जाबिर अली ने यह कथन किया कि उसके स्वयं की कब्जासुद जायगा मकान का पटटा जारी करवाने का कथन किया व उसके समर्थन मे गवाह मोहम्मद शरीफ पुत्र गुलाब नबी जाति काजी निवासी रोल व मोहम्मद असलम पुत्र असगर अली जाति काजी निवासी रोल ने भी अपने बयानों में यह मिथ्या कथन किया कि उक्त जायगा जिसका जाबिर अली पटटा बनवाना चाहता है जो जायगा जाबिर अली के कब्जा की है अन्य किसी का हक अधिकार नहीं है व जाबिर अली के नाम जारी करने के मिथ्या आवेदन का समर्थन किया गया व मिथ्या आवेदन के

01/7/25

अपर कलक्टर, नागौर

आधार पर ग्राम पंचायत ने यह जानते हुए कि उक्त जायगा प्रार्थी/निगरानी की पीढियों पुरानी पटटासुद कब्जासुद जायगा है इसके बावजूद जाबिर अली के पश्चातवर्ती फर्जी आवेदन पर काजी समाज के नाम पश्चातवर्ती फर्जी पटटा जारी किया गया है जो स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है।

2(4)– पटवार मण्डल रोल ने जो प्रमाण पत्र जारी किया था, उसमें भी उक्त जायगा जाबिर अली की होना व उसमें जाबिर अली का रहवासी पक्का मकान बना होना मिथ्या कथन करते हए फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया है बल्कि न तो जाबिर अली का वहां कोई कब्जा है न ऐसा कोई मकान है इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत ने काजी समाज के नाम से कथित फर्जी पटटा जारी कर दिया, जो खारिज किये जाने योग्य है।

2(5)–पटटा हेतु जाबिर अली ने आवेदन पेश किया था उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत रोल ने जो आपति नोटिस काजी समाज पटटा फाईल जरिये जाबिर अली पुत्र अलीमुदीन के नाम से जारी करना गलत बताया है जबकि काजी समाज रोल ने न तो पटटा हेतु आवेदन पेश किया न ही उक्त जायगा उनकी कभी कब्जासुद रही न ही ऐसा कोई सार्वजनिक आपति आमंत्रण सूचना की चवस्पानगी की गयी, सारी कार्यवाही अपराधिक षडयंत्र के तहत फर्जी तरीके से की गयी है।

2(6)–ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 2 जाबिर अली से दुरभिसंधी व मिलावट करते हुए षडयंत्र से अप्रार्थी संख्या 2 के कुटुम्बीयान व रिश्तेदारों को मौका निरीक्षण हेतु पंच नियुक्त कर दिया व उन्होने बाले मिथ्या रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष पेश कर दी, ऐसी रिपोर्ट पर किसी भी पंच के हस्ताक्षर तक नहीं है जो रिपोर्ट पठनीय भी नहीं है व उक्त रिपोर्ट में गलत रूप से उक्त जायगा के विक्रय से किसी ग्रामवासी को आने जाने की असुविधा नहीं होना मिथ्या उल्लेख प्रिन्टेड परफोरमा में कर दिया जबकि यह जायगा प्रार्थी की पटटासुद है व जिस जायगा का प्रार्थी/निगरानीकर्ता पीढियो से उपयोग उपभोग करता है इस प्रकार की पटटासुद व आगे रास्ता की जमीन का गलत पटटा जारी किया गया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2(7)–पंचों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 22.07.2024 को पेश करने की तारीफ का उल्लेख है व दिनांक 22.07.2024 को ग्राम पंचायत की मीटिंग थी तो पंचगणों द्वारा कब मौका देखा गया? किसी भी तारीख, समय, वार तिथि का भी कोई उल्लेख नहीं है मात्र फर्जी तरीके से पटा जारी करने के लिए सारे मिथ्या दस्तावेज एकत्रित किये गये है व उनके आधार पर जारी किया गया पटटा अवैध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

2(8)–अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष जो 50 रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र पेश किया है उसमें उक्त जायगा स्वयं की स्वामित्व की होना सशपथ कथन किया है इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने मनमर्जी से बिना कब्जा व स्वामित्व के काजी समाज के नाम मिथ्या पटटा जारी कर दिया, जिस कारण से भी पटटा जैर निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

2(9)–ग्राम पंचायत ने उक्त जायगा के मौके निरीक्षण हेतु जो पंच मुकर्रर किये, जो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 20.06.2024 को प्रस्ताव लिया गया था उसमें तीन पंच श्री मनफूल तेली, मुमताज बानो, गुलबहार नामों का अंकन है जो तीनो ही अप्रार्थी संख्या 2 के रिश्तेदार व समाज के लोग जिन्होने मिथ्या मौका रिपोर्ट बना कर पेश की गयी है कथित सम्पूर्ण कार्यवाही ग्राम पंचायत ने विधिवत बैठक आहूत किये बिना व कोरम पूरा किये बिना ही गयी होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2(10)–उक्त फर्जी पटटे को बाद जांच निरस्त करने हेतु प्रार्थी ने जिला कलक्टर नागौर व अन्य विभागों में लिखित में प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसकी जानकारी होने पर अप्रार्थी संख्या 2 जो सदर वक्फ कमेटी दरगाह कमेटी रोल का अपने आप को अध्यक्ष/सदर बताता है उसने दिनांक 27.09.2024 को व दीगर वक्फ कमेटी के सदस्यों ने सरपंच ग्राम पचांयत रोल को दिनांक 21.08.2024 को काजी समाज रोल के नाम जारी पटटा संख्या 34 को ग्राम पंचायत रोल के नाम समर्पण करने का आवेदन पेश कर उक्त पटटा को वापिस समर्पण कर दिया लेकिन ग्राम पंचायत ने उक्त पटटा को आज दिन तक निरस्त नहीं किया है ऐसा स्थिति में पटटा निरस्त करवाने के लिए निगरानी पेश करना आवश्यक हुआ है।

2(11)–कथित फर्जी पश्चातवर्ती पटटा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के किसी भी नियम की कोई पालना नहीं की गयी है व सभी नियम कायदों को ताक पर रख कर फर्जी पटटा जारी किया गया व अप्रार्थी संख्या 2 उसके सहयोगियों को यह आभास हो गया कि उनके फर्जीवाडा के संबंध में पुलिस कार्यवाही होगी, इससे बचने के लिए पटटा को वापिस पंचायत में समर्पण कर दिया इसके बावजूद सरपंच ग्राम पंचायत रोल ने हठधर्मिता अपनाते हुए आज तक उक्त पटटा खारिज करने बाबत कोई सूचना निगरानीकर्ता को नहीं दी है न पटटा खारिज किया है ऐसी स्थिति में उक्त फर्जी पटटा को सक्षम न्यायालय से खारिज करवाना आवश्यक होने से इस हेतु निगरानी प्रस्तुत की ।

01/7/24

अपर कलक्टर, नागौर

3– वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपनी बहस में बताया कि हमने उक्त जायगा मेला मैदान की होने के कारण हमने उक्त पट्टे का समर्पण ग्राम पंचायत रोल के नाम कर दिया है।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रोल द्वारा मिसल संख्या 2/2024, पटटा संख्या 34 दिनांक 28.08.2024 को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। पूर्व में ग्राम पंचायत रोल द्वारा पट्टा संख्या 29 दिनांक 10.12.1990 को निगरानीकर्ता के पिता के नाम से जारी किया हुआ था, तत्पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा उसी जायगा का काजी समाज के नाम पुनः पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को किसी भी जायगा का एक बार पट्टा जारी होने के पश्चात उसी जायगा का पुनः पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है एव ग्राम पंचायत को ना ही मेला मैदान पर पटटा जारी करने का अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 02 ने ग्राम पंचायत में पटटा बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा आवेदन में उक्त जायगा को अपने पुराना बडेरो का पीढी दर पीढी कब्जा सुदा एवं पुराना निर्मित मकान का अंकन किया, जबकि ग्राम पंचायत ने उक्त पटटा काजी समाज के नाम जारी किया, तत्पश्चात वक्फ कमेटी दरगाह शरीफ रोल एवं अप्रार्थी संख्या 02 ने दिनांक 27.09.2024 को उक्त पटटा ग्राम पंचायत रोल के नाम समर्पण कर दिया। उक्त सभी दस्तावेजों के अवलोकन से पट्टा की वैधानिकता पर संशय पैदा होता है। ग्राम पंचायत रोल ने उक्त पट्टा बनाते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियमों की पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रोल द्वारा काजी समाज के हक में जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 28.08.2024 व इससे संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव जैर निगरानी निरस्त किया जाता है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/7/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर